16/2017

2018/00173

कार्यालय विवाह अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर

विवाह अधिकारी – नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

विवाह आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2018

द्वारा

श्री गुलशन एवं शारदा कुमारी

उपस्थित : श्री कुलदीप पंवार अधिवक्ता व विवाह के पक्षकारान

आदेश प्रार्थना पत्र दिनांकः 15.10.2018 अप्रैल, 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवाह के पक्षकार प्रार्थीगण श्री गुलशन पुत्र रामेश्वर दास जाति मेधववाल, निवासी गली नम्बर 10, वार्ड नम्बर 44, इन्द्रा कॉलोनी कुम्हार मोहल्ला तहसील व जिला श्री गंगानगर एवं शारदा कुमारी पुत्री श्री आदराम जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 46, इन्द्राचौक तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता श्री कुलदीप पंवार –विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2018 के साथ धारा 5 आशयित विवाह की सूचना प्रस्तुत कर विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने स्वंय के हल्फनामे, धारा 11 के अधीन वर एवं वधु की घोषणा एवं तीन अन्य गवाहन के शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजात एवं आई0डी0 प्रूफ की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है।

आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2018 को पेश किया था। निर्धारित शुल्क दिनांक 28.06.2018 को जमा हो चुका था। दिनांक 05.07.2018 को तीस दिवस की आपति सूचना पत्र जारी किये गये थे। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। तीस दिवस की समाप्ति के उपरांत न तो विवाह के पक्षकार एवं न ही गवाहान उपस्थित हुए हैं। विवाह के पक्षकार के अधिवक्ता को रूक–2 कर, वार–2 आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

विवाह के पक्षकारान द्वारा दिनांक 28.06.2018 को शुल्क जमा कराने के बाद आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं

अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधान है कि तीन मास की अवधि के भीतर विवाह का अनुष्ठापन न होने पर सब अन्य कार्यवाहियॉ व्यपगत हुई समझी जायेंगी। ऐसी स्थिति में धारा 14 के अनुसरण में तीन माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा विवाह के पक्षकारान द्वारा विहित अवधि में उपस्थित आकर कोई कार्यवाही न करने के कारण, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह का अनुष्ठापन नहीं करवाया गया है।

फलस्वरूप, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापन कराये जाने के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही व्यपगत हो गई है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति विवाह के पक्षकार वर को रजिस्टर्ड डाक से भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 15.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/18

(नखतदान बारहठ)
विवाह अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner